

GSTO(P)

42 6500(P&R)

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 08/2024-State Tax (Rate)

Dated: 18.05.2025

No. F.3 (03)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I 420 — In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the Government's Notification No. 12/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30th June, 2017, namely:-

1. (i) In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 25 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25A	Heading 9969 or Heading 9986	Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/ transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.	Nil	Nil"

(B) after serial number 44 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

920/PER
21/07/24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44A	Heading 9981	Research and development services against consideration received in the form of grants supplied by - (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 is so

16/5/25
SCC(P&R)
ML.

E-1619365/SGST
16/05/25

2520/SEIT
16/05/25

620/A(P&R)
19/5/25

ACC(P&R)

				notified at the time of supply of the research and development service."
--	--	--	--	--

(C) after serial number 66 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory, local authority, Governmental authority or Government entity.	Nil	Nil"

(D) for serial number 69 and the entries relating thereto in columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	Heading 9983 or Heading 9991 or Heading 9992	Any services provided by - (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development	Nil	Nil"

		course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package.		
--	--	---	--	--

(E) against serial number 71, in column (3), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

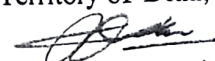
(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) in item (h), -

- (a) in sub-item (i), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.
- (b) in sub-item (ii), for the words “National Council for Vocational Training”, the words “National Council for Vocational Education and Training” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

Note: -The principal notification number 12/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/ DS-VI/380, dated 30th June, 2017, and was last amended vide notification number 04/2024-State Tax (Rate), dated 20-11-2024 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Exp-I)/2024-25/DS-I/994, dated 20th November, 2024.

No. F.3 (03)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 480

Dated: 14/10/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Joint Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-1) विभाग,
दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 08/2024-राज्य कर (दर)

दिनांक : 14/05/2025

फा0सं0 3(03)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/480 - दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) एवं (4), धारा 15 की उप-धारा (5) एवं धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद् द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या फा0 3(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/380 द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

1 (i) उक्त अधिसूचना की सारणी में -

(क) क्रम संख्या 25 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) तथा (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25क	शीर्षक 9969 या शीर्षक 9986	मीटरिंग उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/कैपेसिटर्स आदि का परीक्षण करने, बिजली कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि की ऐसी सेवाओं की आपूर्ति, जो बिजली पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली बिजली पारेषण और वितरण की आपूर्ति के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य

(ख) क्रम संख्या 44 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) तथा (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44क	शीर्षक 9981	अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान एवं विकास सेवाओं की निम्नलिखित द्वारा आपूर्ति- (क) कोई सरकारी निकाय; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अंतर्गत अधिसूचित अनुसंधान संगठन, विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्थान, अनुसंधान एवं विकास सेवा की आपूर्ति के समर्थ इस प्रकार अधिसूचित है।"

(ग) क्रम संख्या 66 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम (2), (3) (4) तथा (5) में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66क	शीर्षक 9992	केन्द्र या राज्य शैक्षिक बोर्ड या परिषद् या कोई अन्य समान निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से जाना जाए, के द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित विद्यालय को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(घ) क्रम संख्या 69 में कॉलम (2), (3), (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991 या शीर्षक 9992	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई भी सेवाएं— (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता—प्राप्त अवार्डिंग निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता—प्राप्त आकलन एजेंसी; (ङ) प्रशिक्षण निकाय , जो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यता—प्राप्त अवार्डिंग निकाय के साथ प्रत्याति हो, निम्नलिखित के संबंध में— (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या कोई अन्य स्कीम; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से संबद्ध कोई भी योग्यता या कौशल, जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् ने योग्यता पैकेज को अनुमोदित किया है।	शून्य	शून्य"

(ङ) क्रम संख्या 71 के सामने कॉलम (3) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उक्त अधिसूचना के अनुच्छेद 2 में,

(अ) मद (ज) में—

(क) उप-मद (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-मद (ii) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों के स्थान पर "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

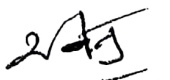
टीप:- मूल अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2017 को अधिसूचना संख्या फा0 3 (15)/वित्त (राज0-1)/2017-18/ डीएस-VI/380 द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा इसे दिनांक 20 नवम्बर, 2024 को अधिसूचना संख्या फा0 3(15)/वित्त (व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/994 द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 04/2024-राज्य कर (दर) द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

फा0 सं0 3(03)/वित्त (व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/५२०

दिनांक: 14/05/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु प्रेषित:-

- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग — चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- वेब साईट।
- गार्ड फाइल।


(रविंदर कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)